कालम फर्द अहकाम नाथी

बनाम

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी प्रार्थना पत्र 230 / 2024

ाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9.12.2024	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री सुरेश शर्मा ने मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर अंतरिम पर सुना गया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करने एवं प्रार्थी द्वारा की गई बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया तो हम पाते है कि प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 27.12.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	
7/12/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीगण स्वयं अनुपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वादपत्र को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	